

विज्ञापन

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5,
पंचकुला

टेलीफोन 0172-2560120, 2560453

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका क्रमांक 12938/2014 - 'महासिंह भूरानिया बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06.8.2014 की पालना में विज्ञापन न0. 2/2012, कैटेगरी न0. 1 व 2 के तहत चयनित उम्मीदवार जो दिनांक 29.12.2014 से 16.3.2015 तक अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर देने हेतु किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हो पाये। ऐसे सभी अनुपस्थित उम्मीदवारों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि निम्न schedule अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के कार्यालय में सरकार द्वारा जारी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाएं। यदि आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि एवं बिना चश्में की तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (जिसमें फोटो का 60 प्रतिशत भाग साफ चेहरा वाला हो) सहित लेकर नीचे दिये गए शैड्यूल अनुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 9.00 बजे उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी अपने अंगूठों के निशान, हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटो का मिलान करवाने में असफल रहता है या उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.harprathmik.gov.in पर देख सकते हैं।

क्रमांक	दिनांक	मैरिट न0.		कमेटी न0.
1.	17.03.2015	2 से लेकर 2397 तथा 1 से 1170 (मेवात केडर)	Rest of Haryana + all absentee candidates of Mewat Cadre.	1 व 2
2.	18.03.2015	2430 से 6100	Rest of Haryana	1 व 2
3.	19.03.2015	6111 से 9048	All absentee candidates rest of Haryana.	1 व 2

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कृत: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।